भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 444698

[redacted] उदय [illegible] के मालिक [illegible]

AL 32 9B

[redacted]

[illegible]

12-02-2019

कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ
इलाहाबाद मण्डल
उत्तर प्रदेश - प्रयागराज

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 444697

AL32013

12-2-19

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ
इलाहाबाद मण्डल
उत्तर प्रदेश-प्रयागराज

: स्मृति–पत्र :

1. संस्था का नाम : उदय सामाजिक, वैज्ञानिक, शिक्षण शोध संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : नयी बाजार खागा फतेहपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0
4. **संस्था का उद्देश्य** :

1. भारतीय जनमानस में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक, मानसिक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रचार व प्रसार करना ताकि जीवन सुखमय एवं सम्पन्न हो सके।
2. धार्मिक भावनाओं को जागृत करने के लिए समय–समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना और धार्मिक ग्रन्थों, वेदों, पुराणों, मनुस्मृति, रामायण श्रीमद्भागवत गीत, शिवपुराण आदि धार्मिक ग्रन्थों के माध्यम से जनता को धार्मिकता से अवगत कराना एवं जागृति करना।
3. समाज को उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु यज्ञ, हवन, पूजा, भजन कीर्तन आदि का आयोजन करके विश्व शान्ति का प्रयास करना तथा महापुरूषों एवं अवतारों के जीवन चरित्रों के बारे में समाज को जागरूक करना।
4. शिक्षा के विकास के लिए स्कूल, कालेज, महाविद्यालय की स्थापना करना।
5. पुस्तकालय, वाचनालय, वृद्ध आश्रम आदि की स्थापना एवं सचालन करना।
   समाज में व्याप्त बीमारियों के निराकरण हेतु संचल चिकित्सालय का संचालन एवं आयोजन करना।
6. खादी ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के विभाग, अनुभागों से दान–अनुदान ऋण आदि प्राप्त करके संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में लगाना।
7. गरीबों व असहाय व्यक्तियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करना।
8. दहेज रहित शदियों के लिए संस्था की ओर भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं को निःशुल्क प्रदान करना।
9. बाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह का आयोजन एवं विकलांगों के लिए विद्यालय, आवास की व्यवस्था करना तथा अनाथलय की व्यवस्था करना।
10. पर्यावरण से सम्बन्धित सभी कार्य करना, वृक्षारोपण करना एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।
11. पशुपालन, सिलाई–कढ़ाई, बुनाई आदि केन्द्र खोलना।
12. पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्ध विश्वास एवं बुराईयों को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पते, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के पत्र तथा नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज

समीर अहमद
Ravi shanker shukla
राम सागर
रामकृपाल
K. K. Tiwari
S.P. Tiwari

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम–पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के पत्र तथा नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्रम	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	सगीर अहमद पुत्र–साह मोहम्मद	नौबस्ता खागा, फतेहपुर	अध्यक्ष	समाज सेवा
2.	रवि शंकर शुक्ला पुत्र–राम मनोहर	ग्राम पोस्ट उमरा खागा, फतेहपुर	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	उदय प्रताप सिंह पुत्र–स्व0 युमराज सिंह	नई बाजार खागा, फतेहपुर	सचिव	समाज सेवा
4.	राम सागर पुत्र–जानकी प्रसाद	नई बाजारखागा, फतेहपुर	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा
5.	कृष्ण कुमार सिंह पुत्र–आर0आर0 सिंह	2डी0 लिडिल रोड जार्जटाउन, इला0	आडिटर	नौकरी
6.	अश्वनी कुमार चौहान पुत्र–संत सरन	नौबस्ता खागा, फतेहपुर	सदस्य	समाज सेवा
7.	सुरेश प्रसाद तिवारी पुत्र–बृजलाल तिवारी	बड़ा गांव, पो0 अशनी फतेहपुर, उ0प्र0	सदस्य	समाज सेवा
8.	अब्दुल हक पुत्र–अब्दुल रब	सय्यद बाबा रोड, वार्ड नं.12 खागा, फतेहपुर	सदस्य	समाज सेवा
9.	रामू शर्मा पुत्र–कल्लू शर्मा	सातो धर्म जिला, फतेहपुर	सदस्य	समाज सेवा
10.	कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र–प्रेम चन्द्र तिवारी	बड़ा गांव अशनी जिला, फतेहपुर	सदस्य	समाज सेवा
11.	राम कृपाल पुत्र–सूरज प्रसाद	ग्राम डुडरा पोस्ट चुरयानी फतेहपुर	सदस्य	समाज सेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है। जिसको पंजीकृत कराना चाहते है।

07-12-2012

सगीरअहमद   उदय प्रताप सिंह   कृष्ण कुमार सिंह

Ravishanker shukla

रामसागर   अश्वनीकुमार चौहान   S.P. Tiwari

अब्दुल हक   रामूशर्मा   K.K. Tiwari

रामकृपाल

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज-19

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां इलाहाबाद मण्डल उत्तर प्रदेश

::नियमावली::

1. संस्था का नाम : उदय सामाजिक, वैज्ञानिक, शिक्षण शोध संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : नयी बाजार खागा फतेहपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. **संस्था का उद्देश्य** : स्मृति पत्र के अनुसार
5. **सदस्य की सदस्यता एवं सदस्य के वर्ग :**

जो व्यक्ति इस समिति की सदस्यता प्राप्त करना चाहें वे कोषाध्यक्ष के नाम से एक लिखित आवेदन पत्र देंगे जिस पर दो सदस्यों की संस्तुति पर सचिव की अनुमति से संस्था की सदस्यता प्राप्त कराई जायेगी। सदस्यता प्राप्त सदस्य को संस्था के नियमों के पालन करने के लिए पालन करने के लिए माह एक घोषणा पत्र देना होगा।

(क) **आजीवन सदस्य** : जो व्यक्ति संस्था को 11100/– रूपया नकद देगा या उससे अधिक कीमत की सम्पत्ति देगा बह आजीवन सदस्य होगा।

(ख) **सामान्य सदस्य** : सामान्य सदस्यता हेतु वार्षिक कम से कम 501/– रूपया नकद देना अनिवार्य होगा।

(ग) **सम्मानित सदस्य** : अध्यक्ष जिस व्यक्ति को समिति के लिए उपयोगी समझेगा उसे निःशुल्क समिति का सम्मानित सदस्य निर्धारित अवधि के लिए घोषित कर सकता है जिसका कार्यकाल एक वर्ष होगा।

6. **सदस्यता की समाप्तिः**

मृत्यु हो जाने पर, पागल, कोढ़ी या दिवालिया हो जाने पर, न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर, सदस्यता शुल्क न देने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, संस्था के पारित प्रस्तावों का उल्लंघन करने पर अथवा संस्था का धन गबन करने पर, त्याग पत्र या साधारण सभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर। सदस्यता समाप्ति के मामले में सचिव का निर्णय अन्तिम होगा। उसके निर्णय के बाद साधारण सभा के बहुत से उसकी सदस्ता का निष्कासन किया जायेगा।

7. **संस्था के अंग** :

(अ) साधारण सभा (ब) कार्यकारिणी समिति

8. **साधारण सभा** :

(क) **गठन** : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

(ख) **बैठकें** : सामान्य व विशेष–साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलायी जायेगी।

(ग) **सूचना अवधि** : सामान्य बैठकों की सूचनायें 15 दिन व विशेष बैठक की एक सप्ताह पूर्व देना अनिवार्य होगा।

(घ) **गणपूर्तिः** कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति कोरम होगी। कोरम पूर्ण न होने पर सचिव अपने विवेकाधीन से उक्त बैठक का आयोजन कर सकता है।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज

समीर अहमद   प्रतापसिंह   कृष्ण कुमार सिंह
Ravishanker Shukla
राम सागर

(ड) <u>विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि</u>: संस्था प्रतिवर्ष अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी।

(य) <u>साधारण सभा के कर्तव्यः</u>

वार्षिक बजट व वार्षिक रिपार्ट को पास करना, नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन स्वीकार करना। कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना।

9. <u>कार्यकारिणी समिति :</u>

~~1. संस्था का नाम : उदय सामाजिक, वैज्ञानिक, शिक्षण शोध संस्थान~~

~~2. संस्था का पूरा पता : नयी बाजार खागा फतेहपुर~~

~~3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश~~

~~4. संस्था का उद्देश्य :~~

समीर अहमद

(क) <u>गठनः</u>

कार्यकारिणी समिति अपने में से एक चुनाव अधिकारी नामित करेगा और चुनाव अधिकारी कार्यक्रम घोषित करके ~~सैद~~ समिति का चुनाव करायेगा जिसमें सचिव कोषाध्यक्ष आजीवन सदस्यों से चुने जायेंगे अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक व आडीटर–एक तथा छः सदस्य होंगे।

(ख) <u>बैठकें:</u>

सामान्य व विशेष बैठकें वर्ष में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलायी जायेगी।

(ग) <u>सूचना अवधिः</u>

कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचनाएँ एक सप्ताह पूर्व व विशेष की 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

(घ) <u>गणपूर्तिः</u> कुल सदस्यों की 1/3 उपस्थिति कोरम होगी।

(ड) <u>रिक्त स्थानों की पूर्तिः</u>

संस्था की प्रबन्ध समिति में हुए आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से साधारण सभा के सदस्यों में से की जायेगी।

(च) <u>कार्यकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्यः</u>

1. समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक या एक से अधिक शाखाएँ खोलना, कार्यक्रमों का आयोजन करना व उनके संचालन व्यवस्था के लिए समस्त संसाधन जुटाना।
2. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था करना, संस्था के लिए भूमि, भवन आदि प्राप्त करना एवं निर्माण करना जिस पर सचिव का पूर्ण अधिकार होगा।
3. संस्था के लिए धन संग्रह करना।
4. बजट व वार्षिक रिपोर्ट का पास करना।
5. आवश्यकता पड़ने पर संस्था के लिए ऋण प्राप्त करना।

(ज) कार्यकाल – कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज

समीर अहमद   B. Gupta   कृष्ण कुमार सिंह
Ravi shanker Shukla
राम सागर

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

(अ) अध्यक्ष :

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. संस्था के उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार करने के लिए सदस्यों व पदाधिकारियों को अधिकृत करना।

3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

(ब) उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

(स) सचिव :

1. इस समिति का सर्वोच्च अधिकारी होगा तथा संस्था की बैठकों के संचालन व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। किसी सदस्य या पदाधिकारी के बैठक में शामिल करने, निकालने या पदच्युत करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

2. सस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखेगा।

3. जब तक प्रवन्ध समिति के नये चुनाव न हो जाये तब तक संस्था के संचालन व्यवस्था के समस्त अधिकार सचिव निहित होंगे।

4. बैठकों की तिथि एवं एजण्डा आदि प्रसारित करना और सदस्यों को सूचना भेजवाना।

5. कर्मचारियों की नियुक्ति करना और निष्कासन करना। पक्ष विपक्ष के मुकदमों को पैरवी करना।

6. कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करने के लिए किसी व्यक्ति को लिखित रूप में अधिकृत करना।

7. सदस्यों से चन्दा प्राप्त करना व सदस्यता शुल्क प्राप्त करके सदस्यता रसीद निर्गत करना।

8. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति का किसी भी समय संस्था की आवश्यकतानुसार क्रय–तथा विक्रय करने का अधिकार होगा।

9. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना।

(द) कोषाध्यक्षः

1. संस्था के कोष का उचित प्रकार से रख–रखाव करना।

2. संस्था के कोष के प्रत्येक भुगतान को हिसाब रखना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज

(य) आडीटर :

3 ग्यप्रावि

कृष्ण कुमार सिंह

रागीर अहमद
Ravi shanker shukla
राम सागर

3. सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से संस्था का कोष बैंक में जमा करना।

11. **संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः**

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

12. **संस्था का कोषः**

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण सचिव व कोषाध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

13. **संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):**

संस्था के आय–व्यय का लेखा मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा प्रतिवर्ष कराया जोयगा।

14. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व**

संस्था द्वारा होने वाले पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15. **संस्था के अभिलेखः**

1. संदस्या रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैशबुक आदि

16. **संस्था का बिघटनः,**

संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक– 7/12/2012

हस्ताक्षर

Ravi Shanker Shukla.

समीर अहमद

रामसागर

कृष्ण कुमार सिंह

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स प्रयागराज

12-2-19

M-32813

सहायक निबन्धक ...मितियाँ
उत्तर प्रदेश–इलाहाबाद

013039

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक........................

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 6698

दिनांक 11/01/2018

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ इलाहाबाद मंडल उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश सरकार

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या पत्रावली संख्या दिनांक

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ....ए0एल0–32913..............2012-2013.
1792

उदय सामाजिक वैज्ञानिक
....को
शिक्षण शोध संस्थान, नयी बाजार, खागा, फतेहपुर

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ....दिनांक .... को दिनांक
1012 / 2012–13 11-12-2012

.... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।
11-12-2017

...................................रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।
1100

जारी करने का दिनांक....................
11-01-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।